

## न्यायिक नयुक्तियों में “प्रभावी परामर्श”

### प्रलिस के लयि:

[कॉलेजियम प्रणाली, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय](#) ।

### मेन्स के लयि:

कॉलेजियम व्यवस्था का वकिस और इसकी आलोचना, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नयुक्ति

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने अपने फैसले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नयुक्ति में **वरषिठता और प्रभावी परामर्श** के महत्त्व पर ज़ोर दिया ।

- हमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कॉलेजियम से जुड़े एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि न्यायिक नयुक्तियों में **प्रभावी परामर्श का अभाव** न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है ।
- न्यायालय ने प्रक्रियगत अनुपालन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए पदोन्नति हेतु अनुशंसति दो न्यायिक अधिकारियों पर पुनर्वचार करने का नरिदेश दिया ।

## मामले की पृष्ठभूमि और सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय क्या है?

- **पृष्ठभूमि:**
  - दसिंबर, 2022 में हमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने दो ज़िला न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सफिरशि की थी ।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने इस पर पुनर्वचार का अनुरोध कया, जसिसे आगामी समीक्षा की आवश्यकता हुई ।
  - बाद में उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने दो अन्य न्यायिक अधिकारियों की सफिरशि की । शुरु में सफिरशि कयि गए न्यायाधीशों ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जसिमें यह तर्क दिया गया कि उनकी वरषिठता को अनदेखा कया गया है ।
- **सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:**
  - **स्थरिता:** सर्वोच्च न्यायालय ने द्वतिय और तृतीय न्यायाधीश मामलों को आधार बनाते हुए यह मूल्यांकन कया कि क्या उसके पास नयुक्ति संबंधी सफिरशियों की समीक्षा करने का कषेत्राधिकार है ।
    - न्यायालय ने नरिणय दिया कि इसकी समीक्षा केवल इस बात पर केंद्रति थी कि क्या [सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम](#) के प्रस्ताव के बाद **“प्रभावी परामर्श” उम्मीदवारों की “योग्यता” या “उपयुक्तता” का मूल्यांकन कयि बना हुआ था** ।
  - **उचिति प्रक्रया :** सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सफिरशियों को अस्वीकार करते हुए इसके नामों पर पुनर्वचार करने का अनुरोध कया था ।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की जाँच की कि क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के साथ **“प्रभावी परामर्श” कया था** ।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रस्ताव हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संबोधति होने के बावजूद वेस्वतंत्र रूप से सफिरशिन नहीं कर सकते । नरिणय लेने में मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के दो वरषिठतम न्यायाधीशों के बीच **“सामूहिक परामर्श” शामिल होना चाहयि** ।
- यह नरिणय न्यायिक नयुक्तियों में **स्थापति प्रक्रयाओं के अनुपालन की आवश्यकता पर बल देता है** तथा वरषिठता के महत्त्व पर प्रकाश डालता है, जसिसे न्यायाधीशों की पदोन्नति में नषिपकष और पारदर्शी प्रक्रया सुनरिचिति होती है ।

## उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नयुक्ति की प्रक्रया क्या है?



उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति  
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण

2 सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश  
दोनों उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4  
वरिष्ठतम न्यायाधीश ।

## कॉलेजियम व्यवस्था के दोष क्या हैं?

- **पारदर्शिता का अभाव:** इस व्यवस्था की आलोचना इसकी अपारदर्शिता के कारण की जाती है तथा नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जनता की जानकारी सीमित होती है ।
- **भाई-भतीजावाद:** ऐसी चिंता है कि न्यायपालिका के भीतर व्यक्तिगत सम्पर्क और संबंध (अंकल जज सिंड्रोम) नियुक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से पक्षपात हो सकता है ।
- **अकुशलता:** न्यायिक नियुक्तियों के लिये स्थायी आयोग की अनुपस्थिति रिक्रतियों को भरने में देरी और अकुशलता का कारण बन सकती है ।

## नष्कर्ष

भारत में न्यायिक नियुक्तियों को लेकर चल रही चर्चा पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षताबढ़ाने के लिये कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती है । [राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग \(NJAC\)](#) को संशोधित करने या तुलनीय सुधारों को अपनाने जैसे उपायों को लागू करने से इन चिंताओं को प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है तथा न्यायपालिका के संचालन के समग्र सुधार में योगदान दिया जा सकता है ।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वापस बैठने और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिये बुलाया जा सकता है ।
2. भारत में उच्च न्यायालय के पास अपने नरिणय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

????

प्रश्न. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । (2017)